**संख्या- 29/2019/ 310/22-4-19-48(30)/14**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-31 मार्च, 2019

विषयः-कारागार विभाग में ई-प्रिजन कार्ययोजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8631/आधु-2/ई-प्रिजन/2019, दिनांक-26 मार्च,2019 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या-25/2019/284/22-4-19-48(30)/14, दिनांक 29 मार्च,2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कारागार विभाग में ई-प्रिजन योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु कुल स्वीकृत रू0 181.00 लाख में से रू0 98,88,348/- (रूपया अट्ठान्नवे लाख अट्ठासी हजार तीन सौ अड़तालिस मात्र) की धनराशि यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0 (यूपी डेस्को) को उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

मैनपावर की व्यवस्था :- (धनराशि रूपये में)

| क्र0 | प्रस्तावित मैनपावर | संख्या | दर प्रति मैनपावर प्रति | कुल लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक प्रोग्रामर(मुख्यालय) | 02 | 38232 | 458784 (06माह हेतु) |
| 2 | सहायक प्रोग्रामर(प्रशिक्षण संस्थान) | 02 | 38232 | 458784 (06माह हेतु) |
| 3 | डेटा मैनेजमेन्ट असिस्टेंट स्तर का मैनपावर | 70 | 21359 | 8970780 (06माह हेतु) |
| | | | योग- | 98,88,348.000 |

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83, संख्या--ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 एवं सं0-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तें/ प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.19 तक कर लिया जायेगा तथा अग्रिम समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(5) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराने का दायित्व अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(6) उक्त कार्ययोजना हेतु मैनपावर की व्यवस्था का दायित्व अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक कारागार का होगा।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-614(ए)/दस-2019, दिनांक- 31 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-**29**/2019/310/22-4-2019, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in